न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 139/2017 निर्णय दिनांक :– 10.9.20

उनवान

1 राजस्थान सरकार जरिये –तहसीलदार तहसील चाकसू

––वादी

बनाम

1. रामसहाय पुत्र गोपीराम जाति गुर्जर हिस्सा 4/10 निवासी दादनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र छोट जाति गुर्जर हिस्सा 3/10 जाति गुर्जर निवासी आनन्दरामपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
3. श्री संगीर खांन जाति चांछ खॉ हिस्सा 3/10 जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 चाकसू।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तहसीलदार चाकसू द्वारा पेराकोर सरकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार पेश किया गया कि तहसील चाकसू पटवार मण्डल चाकसू पूर्व ग्राम चाकसू पूर्व के आ.ख.न 4520 से 4523 कुल किता 5 रकबा 3.26 है0 किस्म बारानी की भूमि श्री रामसहाय पुत्र गोपीराम जाति गुर्जर हिस्सा 4/10 निवासी दादनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर । एवं सीताराम पुत्र छोट जाति गुर्जर हिस्सा 3/10 जाति

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

गुर्जर निवासी आनन्दरामपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर व श्री सगीर खांन पुत्र चांछ खॉ हिस्सा 3/10 जाति मुसलमान निवासी वार्ड न0 17 चाकसू राज0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संम्वत 2069 से 2072 संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का चाकसू पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा ख.न 4520 से 4523 कुल किता 5 रकबा 3.26 है0 किस्म बारानी 2 कृषि भूमि सम्पूर्ण भूमि में गै0मु0 स्कीम स्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि कृषि प्रयोजन हेतु होती है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना संपरिवर्तन कराये उक्त ख.न का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है। ख.न 4520 से 4523 कुल किता 5 रकबा 3.26 है0 भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। प्रथम दृष्टया केश व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में संभव नही है। श्रीमान को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार है। राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। खसरा गिरदावरी के अनुसार किसी प्रकार की काश्त का उल्लेख नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम चाकसू पूर्व के ख.न. 4520 से 4523 कुल किता 5 रकबा 3.26 है0 किस्म बारानी 2 की खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त ख.न रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करें। पैरोकार सरकार तहसीलदार चाकसू ने प्रार्थना पत्र 177 के तहत पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अदालती नोटिस जारी किया गया तो अप्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से मना किये जाने पर उक्त तामील नोटिस प्राप्त होने दिनांक 11.10.2018 को पुनः अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी से करवाये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 हाजीर आया व जवाब पेश किया कि वादग्रस्त आराजी के मौके पर कोई स्कीम नही काट रखी व कृषि उपयोग मे ही काम मे ली जा रही है जवाब पेश होने पर पुनः तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की वर्तमान रिपोर्ट मगवाये जाने के आदेश होने तहसीलदार को पत्र क्रमांक/राजस्व/20/975 दिनांक 05.06.2020 को पुनः वादग्रस्त भूमि की रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में पत्र क्रमांक राजस्व/2020/1492 दिनांक 14.07.2020 को वादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट मय पटवारी हल्का जॉच रिपोर्ट के भिजवायी गयी है जो इस प्रकार है ग्राम कस्बा चाकसू के आराजी ख0न0 4520 से 4523 किता 5 रकबा 3.26 है0 भूमि कृषि का उपयोग अकृषि के रूप में करने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मु.न

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

139/2017 सरकार बनाम रामसहाय वगैरहा के अन्तर्गत के सम्बन्ध में कस्बा चाकसू के पटवारी से पूर्व से जॉच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उक्त भूमि मौके पर पडत व जुताई की जा रही है, दो जगह पत्थर से नीवं भर रखी है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट इस प्रकार है ग्राम कस्बा चाकसू पूर्व के खाता संख्या 721 के खसरा नंबर 4520 से 4523 रकबा 3.26 है0 जो कि राजस्व रिकार्ड में रामसहाय पुत्र गोपीराम जाति गुर्जर हिस्सा 2/5 सीताराम पुत्र छोटुलाल हिस्सा 3/10, संगीरखांन पुत्र चादखां जाति मुसलमान हिस्सा 3/10 के नाम इर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लायी जा रही है। जिसकी मौका स्थिती का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है– उक्त खसरा नंबर वाली भूमि वर्तमान में मौके पर पडत है, ताजा जुताई हो रखी है, मौके पर किसी प्रकार का पक्का स्थायी निमार्ण नही हैं, मौके पर दो जगह पत्थर ही नीव भरी हुई है, जिसकी जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि स्वयं खातेदारों द्वारा अपने निजी आवास हेतु नीव भरी गयी है, शेष भूमि कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है। जवाब सरकार मय पटवारी हल्का कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली का अवलोकन किया तो तहसीलदार चाकसू के द्वारा ग्राम चाकसू पूर्व के आ.ख0न0 4520 से 4523 किता 5 रकबा 3.26 है0 बारानी भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से अकृषि में बिना सक्षम अधिकारी के द्वारा उपयोग लेने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उलंघन करने पर 177 राजस्थान काश्तकारी के तहत प्रकरण बनाकर पेश किया गया जिस पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा हाजीर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसील से पुनः वादग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट ली गयी तो वर्तमान तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में वादग्रस्त भूमि ख0न0 4520 से 4523 किता 5 रकबा 3.26 है0 भूमि वर्तमान में मौके पर पडत है ताजा जुताई हो रखी है। मौके पर किसी प्रकार का स्थीयी निर्माण नही है मौके पर दो जगह पत्थर की नीवं भरी हुई है जो स्वयं खातेदारों द्वारा अपने निजी आवास हेतु नीव भरी गयी है शेष भूमि कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है। इस प्रकार उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य हेतु काम में ली जा रही है दो जगह जो नीव भरी हुई है वो खातेदारों द्वारा निजी आवास निमार्ण हेतु भरी गयी है। इस प्रकार वर्तमान तहसीलदार की रिपोर्ट अुनसार वादग्रस्त भूमि को कृषि उपयोग में ली जा रही है पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण को 177 के तहत साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहने से अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को कृषि कार्य में उपयोग में लेने से किसी भी प्रकार का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उंलघन नही किये जाने से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 177 का सरकार बनाम रामसहाय का स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 177 का सरकार बनाम रामसहाय का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
10.9.20